न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 66 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

1. जीयाराम गोदपुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी लापला (कोसरिया) तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम 1.दुर्गाराम पुत्र चेतनराम
2.मगाराम पुत्र चेतनराम
3.गेनाराम पुत्र चेतनराम
4.पूरोंदेवी पत्नी चेतनराम
5.अर्जनराम पुत्र हिमताराम
6.भोमाराम पुत्र मोटाराम
7.कालूराम पुत्र मोटाराम
8.वालाराम पुत्र मोटाराम
9.वीरमाराम पुत्र मोटाराम
10.चुतराराम पुत्र भैराराम
11.दमाराम पुत्र भैराराम
12.पूनमाराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी लापला (कोसरिया) तहसील बायतु जिला बाड़मेर
13.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बायतु।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 46/2018 बअनवान दुर्गाराम वगै. बनाम जीयाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.10.2020 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री भोमाराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 12.03.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की पैतृक भूमि मौजा लापला के खेत खसरा संख्या 703/423 रकबा 42.03 बीघा, खसरा संख्या 459 रकबा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 460 रकबा 22.15 बीघा, खसरा संख्या 464 रकबा 63.13 बीघा, खसरा संख्या 464/637 रकबा 16 बिस्वा व मौजा कोसरिया में खसरा संख्या 99 रकबा 14.15 बीघा, खसरा संख्या 118 रकबा 03.05 बीघा, खसरा संख्या 101 रकबा 13.06 बीघा पटवार क्षेत्र कोसरिया तहसील बायतु जिला बाड़मेर में आये हुए है जिसमें वादी संख्या 01 से 04 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, वादीगण संख्या 05 से 09 का संयुक्त रूप से 1/4

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 02 से 04 का 1/4 हिस्सा खातेदारी का है। उपरोक्त हिस्सा की भूमि बाई मीटस एण्ड बाउण्ड अलग कर बंटवाड़ा किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.04.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा तहसीलदार बायतु को मौका कमीश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मौके के कब्जे काश्त के अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मंगवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर संबंधित आर.आई. व हल्का पटवारी को विभाजन प्रस्ताव हेतु नियुक्त किया गया। अपीलांट को बिना पूर्व सूचना के आर.आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित दिनांक 02.07.2019 को तैयार किया गया, जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर अपीलांट व उसके अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर एतराज करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु निवेदन किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.12.2019 को पुनः विभाजन प्रस्ताव बाई मीटस एण्ड बाउण्ड तैयार कर न्यायालय में पेश करने हेतु आदेशित किया गया, जिस पर दुबारा भी तहसीलदार ने मौके पर न जाकर आर आई व हल्का पटवारी ने दिनांक 30.03.2018 को पूर्व में तैयार विभाजन के अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया, जिस पर अपीलांट द्वारा पुनःआपति पेश की गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार से तलब की गई जिस पर हल्का पटवारी व आर आई विभाजन प्रस्ताव के बजाय तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार के मार्फत अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई। एकपक्षीय तैयार तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी कर दी गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बायतु को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार बायतु द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उत्तरदाता/वादीगण के प्रभाव में

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को बिना पूर्व सूचना के आर.आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित दिनांक 02.07.2019 को तैयार किया गया, जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर अपीलांट व उसके अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर एतराज करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु निवेदन किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 17.12.2019 को पुनः विभाजन प्रस्ताव बाई मीटस एण्ड बाउण्ड तैयार कर न्यायालय में पेश करने हेतु आदेशित किया गया, जिस पर दुबारा भी तहसीलदार ने मौके पर न जाकर आर आई व हल्का पटवारी ने दिनांक 30.03.2018 को पूर्व में तैयार विभाजन के अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया, जिस पर अपीलांट द्वारा पुनःआपति पेश की गई, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार से तलब की गई जिस पर हल्का पटवारी व आर आई विभाजन प्रस्ताव के बजाय तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार के मार्फत अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई। एकपक्षीय तैयार तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी कर दी गई। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार बायतु द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि नायब तहसीलदार बायतु द्वारा मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। मौका विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त अपीलांट स्वयं मौके पर उपस्थित होते हुए भी हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया। मौका विभाजन प्रस्ताव पर तैयार तथ्यात्मक रिपोर्ट में भी स्पष्ट आया है कि विभाजन प्रस्ताव से प्रतिवादीगण जीयाराम व दमाराम सहमत नहीं है, दोनों मौके पर उपस्थित थे परन्तु

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

हस्ताक्षर करने से मना किया । इनकी आपति यह है कि ग्राम लापला के खसरा संख्या 454 में से मौके पर रास्ता चल रहा है, जिसे समर्पण करवाया जाकर रेकर्ड में कटाण दर्ज किया जाए। इस हेतु वादीगण दुर्गाराम, मगाराम, गेनाराम पिता चेतनराम ने इनकी क्रय शुदा भूमि में चल रहे रास्ते को व आने जाने हेतु रास्ते में किसी प्रकार की रूकावट व व्यवधान पैदा नहीं करने बाबत् श्रीमान तहसीलदार बायतु को सहमति के रूप में दिनांक 07.09.2020 को प्रार्थना–पत्र पेश कर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये गये। अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव पर कोई एतराज नहीं होकर केवल मात्र वादी/रेस्पोडेंट की क्रय शुदा भूमि में से सरकारी कटाण मार्ग लेने की मंशा है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष पेश अपने काउन्टर क्लेम दिनांक 17.07.2018 में प्रतिवादीगण को अपने खेत व ढाणी में आने जाने हेतु उक्त खसरों के बीच में केवल भूमि जो वादीगण के नाम से है उसी में से रास्ता हेतु भूमि निकाल कर बाद में भूमि का विभाजन किया जावे, इससे अपीलांट की मंशा स्पष्ट जाहिर होती है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण द्वारा बार–बार आपति जताई और अधीनस्थ न्यायालय ने आपति के मद्देनजर पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये। अन्तिम बार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव बाकायदा भूमिधारक नायब (तहसीलदार) बायतु स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए उभयपक्ष की मौजूदगी में बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 19.10.2020 को अंतिम डिक्री जारी की गई। इस विभाजन प्रस्ताव की मौका फर्द (दिनांक 06.03.2020) का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांट स्वयं उपस्थित आया लेकिन हस्ताक्षर करने से मना किया। अपीलांट जीयाराम बार–बार आपति एवं सहमति का इजहार कर हर बार कोई नया विवाद पैदा कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की मंशा रखता है। आपति वाले उक्त उक्त खसरों का विभाजन प्रस्ताव भी नायब तहसीलदार बायतु द्वारा भलीभांति

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निरीक्षण करने के पश्चात विभाजन प्रस्ताव में पक्के मकान/आवास तक को इंगित किया जाकर तदनुसार भूमि की एक समान गुणवता एवं कब्जे काश्त के मद्देनजर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पुनः तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 13.10.2020 में स्पष्ट आया है कि वादीगण/रेस्पोडेंट की खातेदारी का खसरा संख्या 454 में से मौके पर रास्ता चल रहा है, जिसे समर्पण करवाया जाकर कटाण दर्ज किया जाए जबकि मूल दावा ही 454 का न होकर उक्त आराजी रेस्पोडेंटस की क्रय शुदा भूमि है। **अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं।** अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bounds तैयार किये गए नायब तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 46/2018 बअनवान दुर्गाराम वगै. बनाम जीयाराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.10.2020 को यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर